

झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद।

पत्रांक:- न0नि0वि0-08 / 2020-18.

संवा मे

श्री मृगेंद्र कुमार पित्तस्वर्णवीर महरा, अद्युक्त मनान अंशायी विभा-

मरडम सुलेमान अंशायी (3) इमामुल हक अंशायी विभा-मरडम

नारिअंशायी, सं. 4/E, स्ट्रीट-09, भा.खं. 2216, 4/एलवंग
शिये, जिना-बीकारे।

चास दिमाक- 09/11/2020-2020.

विषय:- आवासीय/व्यवसायिक/औद्योगिक/संस्थामत् भवन निर्माण हेतु गृह प्लान केश न0 बी0डी0- 59/18-19 सम्बन्धित आपके आवेदन दिनांक- 24/09/2018 के सम्बन्ध में।

महाशय,

आपके आवेदन, दलील संख्या- 3583, 1200, 1127, 1036, 2010, 1862, 1260 दाखिल खारिज अभिलेख संख्या- 1515, 1260, 1281, 1263, 1259, 1265, 1264, 1271, 1272 जमावदी संख्या- 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02 से निर्गत लागान रसीद वर्ष- 18-19 की अभिप्रमाणित प्रति, शपथ पत्र एवं Indemnity Bond एवं तकनीकी सदस्य द्वारा किये गये अनुशांसा के आह्लोक में आपके द्वारा प्रस्तुत आवासीय/व्यवसायिक/औद्योगिक/संस्थामत् भवन संबंधी बी0डी0 केश न0- 59/18-19 के नक्शे की स्वीकृति प्रबन्ध निदेशक, झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार धनबाद द्वारा प्रदान की गई है। निदेशानुसार सूचित करना है कि तै.सु.सि.मि-38 मौजा न0 98 अन्तर्गत खाता न0- पुराका-02, ग्या-09 प्लॉट न0- पुराका-551, 552, 553 नया प्लॉट न0- 1441 रकवा- 15.26

डी0 भूमि पर स्वीकृत नक्शे के अनुसार लाईसेंसी अभियन्ता श्री Tulsi Choudhary की देख-रेख में कार्यारम्भ के पूर्व निर्धारित प्रपत्र में अधोहस्ताक्षरी को कार्यारम्भ की जानकारी उपलब्ध करायेंगे। स्वीकृत नक्शे के अनुसार अधिकतम 3 (तीन) वर्षों में कार्य पूर्ण कर अधिनियम के प्रावधानों के तहत निर्माण पूरा होने की लिखित जानकारी अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे।

प्रबन्ध निदेशक के लिखित पूर्वानुमति के वेगैर किये गये किसी भी विचलित निर्माण को नियमित नहीं किया जा सकेगा, बल्कि उसे तोड़ना ही एकमात्र विकल्प होगा। झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार के संबंधित पदाधिकारी से निर्माण कार्य का निरीक्षण समय-समय पर कराना सुनिश्चित करेंगे।

आप स्वीकृत नक्शे में दर्शाये नाली से हटकर अन्य नाली का निर्माण नहीं करेंगे।

माडा भवन विनियमन के दायरे में आवासीय/व्यवसायिक/औद्योगिक/संस्थामत् भवन निर्माण हेतु स्वीकृत नक्शा, स्वत्व, अधिकार एवं दखल का प्रमाण नहीं है।

जिस प्रयोजन के लिये भवन निर्माण का नक्शा स्वीकृत किया गया है, निर्मित भवन का व्यवहार उसी प्रयोजन के लिये किया जा सकेगा। भवन प्लान की स्वीकृति से आवेदक का प्रश्नगत भूमि पर भुस्वामित्व का प्रमाण स्थापित नहीं होगा।

जल संरक्षण एवं पर्यावरण सुरक्षा हेतु आवश्यक प्रबंध के लिये आप स्वयं जिम्मेवार रहेंगे तथा स्वीकृति आदेश राज्य सरकार/नेशनल विल्डिंग कोड के अद्यतन आदेशों, निदेशों एवं प्रावधानों से स्वतः प्रभावित होगा।

आवेदकों द्वारा उपकर के मद में कुल रू0- 2,20,500/- 1/3 भाग रू0- 73,500/- का बैंक ड्रपट एवं रू0- 73,500/- का दो पोस्ट डेटेड चेक दिनांक- 02/09/2021 एवं दिनांक- 02/09/2022 का जमा किया गया है।

स्टक्चर डिजायन, सोवायल टेस्ट रिपोर्ट काम शुरू करने के पहले या 60 दिनों के अन्दर जमा नहीं करने पर निर्माण कार्य स्थगित करना पड़ेगा।

प्लीन्थ के निर्माण के बाद आवेदक सूचित करेंगे और अभियन्ता स्थल जाँचकर प्रतिवेदन देंगे, तत्पश्चात् ही आगे की निर्माण कार्य जारी रहेगी। साथ ही प्लम्बिंग और इलेक्ट्रीकल सम्बन्धित नक्शा भवन निर्माण के पूर्ण होते ही निश्चित रूप से जमा कर देंगे।

भविष्य में भूमि संबंधी विवाद अथवा कागजाती में कोई गलत साबित होने पर या जिले के राजस्व शाखा एवं न्यायालय द्वारा कोई अन्यथा आदेश पारित रहने/होने पर यह आदेश स्वतः रद्द समझा जायेगा एवं तदनुसार नक्शे की स्वीकृति भी स्वतः प्रभावित होगी।

कार्यपालक अभियन्ता
नगर निवेशन विभाग,
माडा, धनबाद।
09/11/2020
नगर निवेशन
09/11/2020